प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 20.05.2026

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 17.05.2026 को वादी ने थाना कौशाम्बी पर लिखित तहरीर दी और बताया कि मेरी नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त प्रकाश नि0 सरयू टावर सै0 4 वैशाली द्वारा गलत नीयत से छूने व छेड़छाड़ की है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कौशाम्बी पर धारा 74,75 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना से उक्त अभियोग में धारा 65(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 19.05.2026 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त प्रकाश पुत्र गिर बहादुर निवासी सरयू टावर वैशाली सैक्टर 04 गाजियाबाद मूल पता पर्वतकुशमा नगरपालिका 01 गण्डकी प्रदेश (नेपाल) प्रकाश पुत्र गिर बहादुर निवासी सरयू टावर वैशाली सैक्टर 04 गाजियाबाद मूल पता पर्वतकुशमा नगरपालिका 01 गण्डकी प्रदेश (नेपाल) उम्र करीब 36 वर्ष को अंसल कट के पास मेट्रो पिलर नं0 212 के नीचे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं पर्वतकुशमा नगरपालिका 01 गण्डकी प्रदेश (नेपाल) का मूल निवासी हूं और वर्तमान में सरयू टावर सैक्टर 04 वैशाली थाना कौशाम्बी गाजियाबाद में रहता हूँ तथा मै म0नं0 298/3 सैक्टर 04 वैशाली थाना कौशाम्बी मे खाना बनाने का काम करता हूं। मेरी मकान मालकिन जिनकी उम्र लगभग 55 साल है और वह अपने घर पर अकेली रहती है। मै जहां काम करता हूं वही बराबर के मकान में पीडिता अपने परिवार के साथ रहती है पीडिता अक्सर मेरे पास आती रहती थी। दिनांक 15.05.2026 को मैने पीडिता के पिता को फोन किया और बर्तन देने के बहाने पीडिता को बुलाया तो पीडिता के पिता ने पीडिता को भेज दिया जब पीडिता आयी तो मैने उसे चाय पिलाई और उसे कमरे मे ले गया वहा मैने उसे बैड पर धक्का दिया और उसके तथा अपने नीचे के कपडे निकालकर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करने लगा इस दौरान मेरी मकान मालकिन अपने कमरे मे आंखो मे दवाई डालकर लेटी हुई थी। जब मै यह सब कर रहा था तो मैने दरवाजे की कुंडी नही लगाई थी तभी अचानक से मेरी मकान मालकिन आतर्शी उपरोक्त कमरे मे आ गयी और उन्होने मुझे ये सब करते देख लिया उन्हे देखकर मै डर कर वहा से भाग गया। मुझे पता चला कि पीडिता के पिता ने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा दिया है इसलिए आज मै वैशाली से भागने की कोशिश मे यहा ऑटो का इंतजार कर रहा था कि आपने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- प्रकाश पुत्र गिर बहादुर निवासी सरयू टावर वैशाली सैक्टर 04 गाजियाबाद मूल पता पर्वतकुशमा नगरपालिका 01 गण्डकी प्रदेश (नेपाल) प्रकाश पुत्र गिर बहादुर निवासी सरयू टावर वैशाली सैक्टर 04 गाजियाबाद मूल पता पर्वतकुशमा नगरपालिका 01 गण्डकी प्रदेश (नेपाल) उम्र करीब 36 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

- गिरफ्तार अभियुक्त के विरूध्द थाना कौशाम्बी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी कर वाहनों के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर उन्हें बेचने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरणः- दिनांक 07.03.2026 को वादी श्री सामीनाथन ने थाना कौशाम्बी पर लिखित तहरीर दी और बताया कि अभियक्तगण 1. अभिलाष सिंह 2. शिवा 3. विजय कुमार 4. विनय कुमार 5. जर्मन फारूखबाई व अन्य अज्ञात द्वारा आपराधिक षड़यंत्र रचकर चोरी व वित्तीय संस्थाओं के अधीन गिरवी (हाइपोथिकेटेड) वाहनों के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मुझे धोखाधड़ी से बेच दी है। जिसकी जाँच एन्टी फ्रॉड से कराने के बाद आरोप सत्य पाये जाने पर थाना कौशाम्बी पर अन्तर्गत धारा 318(4), 338,336(3), 340(2), 61(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 20.05.2026 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त आदेश सिंह पुत्र शिव रतन सिंह नि0 मुडगांव गौसिंहपुर थाना मौहम्मदाबाद जनपद फरूर्खाबाद उम्र करीब 29 वर्ष को सार्वजनिक शौचालय आनंद बिहार बॉर्डर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मेरा असली नाम आदेश सिंह है जबकि मैंने सामीनाथन को अपना गलत नाम अभिलाष सिंह बताया था मैं अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी व वित्तीय संस्थाओं के अधीन गिरवी (हाइपोथिकेटेड) वाहनों के कूटरचित दस्तावेज तैयार करते थे तथा फिर उन वाहनों को बेच देते थे तथा रुपयों को आपस में बांट लेते थे। हमने सामीनाथन को इस प्रकार के कई वाहन बेचे थे। मुझे पता चला कि सामीनाथन ने हमारे खिलाफ मुकदमा लिखा दिया है आज में अपने गांव जाने के लिए आनंद बिहार बस स्टैण्ड जा रहा था कि आपने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

- आदेश सिंह पुत्र शिव रतन सिंह नि0 मुडगांव गौसिंहपुर थाना मौहम्मदाबाद जनपद फरूर्खाबाद उम्र करीब 29 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूध्द थाना कौशाम्बी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई आजीवन कारावास व 21 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा।

अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर सजा कराये जाने हेतु श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' के प्रभावी प्रयासों एवं विवेचक श्री रितेश त्रिपाठी तत्कालीन सहायक पुलिस आयुक्त मोदीनगर द्वारा साक्ष्यों के आधार पर की गयी विवेचना एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री आदेश त्यागी द्वारा मा०न्यायालय में की गयी प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप थाना भोजपुर, कमिश्नरेट गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा- 498ए/304बी भादवि व धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधि0 में अभियुक्त बिलाल पुत्र हाजी अनूप निवासी ग्राम कलछीना थाना भोजपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद को, मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-03 गाजियाबाद द्वारा आज दिनांक 20.05.2026 को धारा- 304 बी भादवि में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा 498ए भादवि में 02 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये का अर्थदण्ड एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधि0 में 01 वर्ष का कठोर कारावास व 01 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त द्वारा वादी की बहन को दहेज के लिये प्रताड़ित कर हत्या कर देने के सम्बन्ध में दिनांक 04.03.2023 को वादी द्वारा थाना भोजपुर पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

श्री आदेश त्यागी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता	**म0मु0आ0 प्रवेशपाल** पैरोकार कन्विक्शन सेल	**मु0आ0 नेम सिंह** पैरोकार थाना भोजपुर